



**OFFICE OF THE DEAN ACADEMIC AFFAIRS
RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY**

AKELGARH, RAWATBHATA ROAD, KOTA-324010

Ph-0744- 2473015, website : www.rtu.ac.in, email : dean.academic@rtu.ac.in

रातवि / डीनएए / एफ(17) / 2021 / 2928-31

दिनांक : 16.01.2021

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.12(3)त. शि./2006-1 दिनांक 08.01.2021 की अनुपालना में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध एवं संघटक महाविद्यालयों को दिनांक 18/01/2021 से नियमित संचालित करते हुए अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों विशेषतः प्रायोगिक कक्षाएँ हेतु महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती हैं। अन्य सभी कक्षाएँ ऑनलाईन मोड पर यथावत जारी रहेंगी। साथ ही राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-9) विभाग द्वारा जारी आदेश/गाईडलाईन नं. क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 06/01/2021 की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत जारी किया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

sdf

डीन अकादेमिक अफेयर्स,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, आरटीयू, कोटा
2. कुलसचिव
3. प्राचार्य/निदेशक संबद्ध एवं संघटक महाविद्यालय, आरटीयू, कोटा
4. रक्षित पत्रावली

115

उप-कुलसचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह-9/2019

जयपुर दिनांक: 6/1/2021


आदेश

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-


1. दिनांक 11.01.2021 से मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति होगी।
2. राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिये विद्यालय दिनांक 18.01.2021 से खोले जायेंगे। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जायेगी।

नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. राज्य के सभी विश्व विद्यालयों/महाविद्यालयों के अन्तिम वर्ष की कक्षाओं को दिनांक 18.01.2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति होगी।
4. कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
5. कोचिंग संस्थानों को दिनांक 18.01.2021 से खोलने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी, जिसकी सभी कोचिंग संस्थानों को सख्ती से पालना करना अनिवार्य होगा।

 उपरोक्त सरकारी/निजी विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करते हुए शिक्षण गतिविधियों को प्रारम्भ करेंगे।

सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।


(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।



(एन.एल.मीना)

शासन सचिव, गृह

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ. 12(3)त.शि./2006 -।

जयपुर, दिनांक 08.01.2021

:— आदेश :—

राज्य में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु राजस्थान सरकार, गृह (ग्रुप-9) विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा-निर्देश दिनांक 06.01.2021 अनुसार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थान यथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के अधीन संचालित समस्त राजकीय, निजी एवं स्वायत्तशाषी शिक्षण संस्थानों को गृह (ग्रुप-9) विभाग के संदर्भित आदेश/दिशा-निर्देश (प्रतियां सलग्न) की पालना करते हुये दिनांक 18.01.2021 से खोले जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. उप सचिव, गृह (ग्रुप-9) विभाग।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
10. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
12. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।



संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक : 06 JAN 2021

आदेश

विषय : शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु दिशा-निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को दिनांक 18 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है, अतः कोचिंग संस्थानों द्वारा भी दिनांक 18.01.2021 से शिक्षण प्रारम्भ किया जावेगा एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्यतः अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

राज्य में शिक्षण व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की पूर्व तैयारी किये जाने के दृष्टिगत निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे:-

- A. केवल कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से कोचिंग संस्थान जाने की अनुमति होगी।
- B. लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- C. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का Preferred माध्यम रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
- D. जहां ऑनलाईन क्लॉसेज चलायी जा रही है, और जहां विद्यार्थी भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाईन क्लॉसेज की उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं, तो उन्हें इसके लिए अनुमति प्रदान की जाये।

13/1

- E. विद्यार्थी केवल माता-पिता की लिखित सहमति के आधार पर ही संस्था को अटेंड कर सकेंगे।
- F. राजस्थान के बाहर आने वाले विद्यार्थी को राजस्थान आने से चौबीस घंटे पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट की जांच कराना अनिवार्य होगा उक्त जांच के नेगेटिव आने के उपरांत ही कोचिंग संस्थान में प्रवेश अनुमत होगा।
- G. संस्थान द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होगा।
- H. छात्रों की उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जायेगा और पूर्णतः माता-पिता की सहमति पर ही आधारित होगी।
- I. सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग हेतु प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

कोचिंग संस्थान खोले जाने से पूर्व की जाने वाली व्यवस्था:-

1. कोचिंग संस्थान खोलने से पहले संपूर्ण भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, संग्रहण स्थान, पानी के टैंक, रसोईघर, बाशरूम, कैंटीन, प्रयोगशाला इत्यादि की पूर्ण सफाई एवं कीटाणु रहित/Santize कराया जावे।
2. कक्षों इत्यादि में हवा का पूर्ण प्रवाह रहे यह सुनिश्चित किया जावे।
3. हाथ धोने के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हो।
4. थर्मल स्केनिंग/कीटाणुनाशक/Santizer/साबुन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
5. कोचिंग संस्थानों में आवागमन हेतु परिवहन के समस्त साधन सेनिटाईज हो।
6. संस्थान के खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि परस्पर बैठक की दूरी 6

रु

फीट रखी जावें। स्टाफ रूम, कार्यालय एवं परिसर एवं अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जावें।

7. संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्टाफ को कोरोना वायरस (कोविड-19) संबंधी चुनौतियों एवं उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक करें।
8. संस्थान में यथा स्थान सामाजिक दूरी बनाये रखने, हाथ धोने एवं मास्क संबंधी पोस्टर, संदेश, स्टीकर लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
9. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध हो।
10. संस्थान को खोले जाने से पूर्व रिसेप्शन, पानी पीने के स्थान, हाथ धोने के स्थान पर निश्चित दूरी पर सर्किल (Marking circle) किया जावें। संस्थान खोले जाने से पूर्व अभिभावकों की सहमति प्राप्त की जावें।
11. संस्थान का यह दायित्व होगा वह पूर्ण प्रशिक्षित स्टाफ/नर्स एवं चिकित्सक की संपूर्ण अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित रखें।
12. संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि कोचिंग समय में कमी की जा सके।
13. एक बैच से दूसरे बैच के मध्य कम से कम 30 मिनट का अंतराल रखा जाना चाहिए, ताकि दोनों बैचों के छात्र एक साथ एकत्रित न हो सके।
14. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि एक बैच के समाप्ति उपरांत एवं दूसरा बैच प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित कक्षाओं को सेनेटाईज कराया जावे।

संस्थान के खोले जाने पर दिशा-निर्देश:-

संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि-

1. मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जावे एवं विद्यार्थी/अभिभावक/ कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो।

ॐ

2. अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "No Mask No Entry" की पालना आवश्यक है।
3. सेनेटाईजेशन एवं तापमान की जांच करने के पश्चात् ही प्रवेश सुनिश्चित हो।
4. गार्ड कैबिन में भी सामाजिक दूरी का पालन किया जावे एवं प्रत्येक शिफ्ट के गार्ड नियमित रूप से हाथ धोने/सेनेटाईजेशन का ध्यान रखें।
5. संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज किया जावे।
6. प्रमुख द्वार पर किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु बिना वेरिफिकेशन के प्राप्त नहीं की जावे।
7. संस्थान में आने वाले सामान को बिना सेनेटाईजेशन के आने की अनुमति नहीं हो।
8. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जावे।
9. यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी विद्यार्थी एवं फ़ैकल्टी मेंबर्स ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हैं, को छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ धोएं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें।
10. कोविड-19 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों का ध्यान रखने के लिए संस्थान में कैमरो की व्यवस्था की जावे।
11. संस्थान अपने विद्यार्थी एवं फ़ैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेंगे।



कक्षाओं में अध्ययन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां:-

1. विद्यार्थियों की एंट्री व एक्जिट के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जावे।
2. कोचिंग कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर जाने के समय सेनेटाईजर/ साबुन/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावे।
3. विद्यार्थियों के चेहरों पर मास्क (No Mask No Entry) व स्वयं पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।
5. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
6. कैंटीन स्टाफ एवं कैंटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे। विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय स्टाफ द्वारा सेनेटाईज दस्तानों का प्रयोग किया जावे।
7. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैंडलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।
8. प्रतिदिन सभी छात्रों का तापमान मापने एवं सेनेटाईजेशन के उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।
9. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है।
10. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे।
11. संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी विद्यार्थी में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेन्टर में

क

ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/भर्ती किया जावेगा, जिसका व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

12. संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी।

संस्थान द्वारा संचालित हॉस्टल/अन्य हॉस्टलों/पीजी/किराये के मकानों में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाएँ:-

1. एक कक्ष में एक विद्यार्थी के ही रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। जिन बड़े कक्षों में एक से अधिक विद्यार्थियों के रुकने की व्यवस्था है, उनमें अस्थाई पार्टीशन की व्यवस्था कर सिंगल रूप में परिवर्तित किया जावे।
2. विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने के दौरान पर्याप्त सामाजिक दूरी संधारित की जावे।
3. हॉस्टल में उन्ही बच्चों को प्राथमिकता से लिया जावे जिनके स्थानीय निवास न हो एवं ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था न हो।
4. प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिदिन स्क्रिनिंग सुनिश्चित की जावे।
5. बाहर से आने वाले छात्रों को हॉस्टल पहुंचने पर प्रारम्भिक दिनों में अन्य छात्रों से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जावे।
6. छात्रों के मानसिक एवं भावनात्मक मनोबल को सुदृढ़ करने हेतु संस्थान द्वारा काउंसलर की व्यवस्था की जावे।
7. संस्थान के स्टाफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों के आगमन पर रोक लगाई जावे।
8. किसी भी छात्र या स्टाफ के सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आईसोलेट किया जाकर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु पृथक हॉल/तल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।

३

मैस व्यवस्था :-

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक छात्रावास में मैस व्यवस्था अनिवार्य हो, ताकि विद्यार्थियों को बाहर से भोजन नहीं मंगवाना पड़े।
2. मैस (भोजन कक्ष) में एकत्रित होकर भोजन करने के स्थान पर अपने कक्ष में ही भोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
3. यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिदिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) अच्छी तरह से साफ किया जावे एवं सेनेटाईज किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गंदा पानी एक जगह एकत्रित न हो।
4. मैस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन धुलाया जावे एवं फर्निचर को सेनेटाईज किया जावे।
5. खाना परोसने वाला स्टाफ अनिवार्य रूप से हाथ दस्तानें/मास्क का उपयोग करें।
6. विद्यार्थियों की मैस में एंट्री के समय अनिवार्य रूप से हाथ धोना/सेनेटाईज करना सुनिश्चित किया जावे।
7. सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
8. कोरोना महामारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावे।
9. मैस में पीने के पानी के स्थान की स्वच्छता सुनिश्चित की जावे।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये यह अनिवार्य है कि समस्त कोचिंग संस्थान/विद्यार्थी/स्टाफ उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इन शर्तों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय है। अतः सभी को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

ॐ

जिला मजिस्ट्रेट इस सम्बन्ध में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे एवं दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेंगे।

6/11/2021
(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

6/11/2021
(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव, गृह